कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध–आदेश ::

क्रमांक– 05 /एक–5–3/88

सीधी, दिनांक–12/01/2024

मैं संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिविल जिला सीधी के लिए इस संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्न कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूँ, जो दिनांक 16/01/2024 से प्रभावशील होगा :–

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
1	जिला न्यायाधीश सीधी	सिविल जिला सीधी	1. समस्त सिविलवाद, जिनका मूल्य पच्चीस करोड़ रूपये से अधिक हो। 2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें **थाना कोतवाली एवं थाना जमोड़ी** जिला सीधी तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :– **1.** आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **2.** अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **3.** जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। 3. सिविल जिला सीधी के मुख्यालय में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायाधिकारी के निर्णयों व आदेशों के विरुद्ध सभी नियमित एवं विविध अपीलें। 4. नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकाएं। 5. सिविल प्रकरणों के अंतरण हेतु आवेदन। 6. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के क्षेत्राधिकार संबंधी धारा 7 में उल्लिखित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण और आवेदन, जो सामान्य, स्थानीय और विशेष अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश की सुनवाई योग्य हों व जिनके संबंध में

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			अन्यत्र निर्देश न दिया गया हो। 7. उक्त सभी मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 8. मुकदमा पूर्व एवं लंबित मामलों में लोक अदालत द्वारा पारित कोई आदेश या पंचाट के निष्पादन के लिए आवेदन, जो लोक अदालत स्कीम, 1997 के अधीन जारी अनुदेश क्रमांक 5 अनुसार अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय को सौंपे जा सकेंगे। 9. सिविल जिला सीधी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत अधोसंरचनाओं से संबंधित संविदाओं तथा दावों का विचारण।
2	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला, सीधी	1. वे सभी प्रकरण, जिन्हें समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। 2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें थाना **मझौली, अजाक, महिला पुलिस, यातायात पुलिस थाना** तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :– **1.** आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **2.** अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **3.** जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात जिस थाना क्षेत्र में दुर्धटना घटित हुई है। 3. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 से संबंधित प्रकरण। 4. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 51(1) एवं (2) के साथ पठित धारा 64 के अपनी क्षेत्राधिकारिता से संबंधित आवेदन एवं मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 6. जिला सीधी के समस्त (तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर) Grant of Probate and latters of administration Act, 1977 से संबंधित सभी मामले।
3	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला, सीधी	1. वे सभी प्रकरण, जिन्हें समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। 2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें थाना **चुरहट एवं कमर्जी** तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :– **1.** आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **2.** अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **3.** जहॉ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। 3. एक करोड़ रूपये से अधिक व पच्चीस करोड़ रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल प्रकरण। 4. पांच सौ रू. से अधिक व एक हजार रू. तक के लघुवाद प्रकृति के सभी वाद। 5. दिवालिया अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी प्रकरण। 6. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(5) तथा धारा 172 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 7. मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			9. व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड चुरहट** के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेशों के विरूद्ध नियमित व विविध सिविल अपीलें। 10. प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
4	चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला, सीधी	1. वे सभी प्रकरण, जिन्हें समय--समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। 2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें **अमिलिया** एवं **कुसमी,** तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :-- **1.** आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **2.** अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **3.** जहॉ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात **जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है।** 3. म.प्र. रेण्ट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें। 4. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 5. तृतीय जिला न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 6. जिले के समस्त प्रकार के घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अंतर्गत एवं उन मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
5	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला,	1. वे सभी प्रकरण, जिन्हें समय--समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
	के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी	सीधी	2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें **बहरी एवं भुईमाड़** तथा इन थानों की समस्त चौकी क्षेत्रों में :– **1.** आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **2.** अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **3.** जहॉ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है। 3. व्यवहार न्यायालय **मझौली एवं ग्राम न्यायाधिकारी मझौली** के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित व विविध सिविल अपीलें। 4. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
6	जिला न्यायाधीश, रामपुर नैकिन, श्रृंखला न्यायालय, जिला सीधी	तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी	1. वे सभी प्रकरण, जिन्हें समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किया जावे। 2. समस्त प्रकार के मोटरयान दुर्घटना दावा के सभी मामले (मृत्यु एवं उपहति) जिनमें थाना **रामपुर नैकिन** एवं उक्त थाने से संबंधित समस्त चौकी क्षेत्रों में :– **1.** आवेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** **2.** अनावेदकगण स्वेच्छा से स्थाई रूप से निवास करते है, या कारोबार करते है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते है **अथवा** 3. जहॉ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः अर्थात **जिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है।** 3. एक करोड़ रूपये से अधिक व पच्चीस करोड़ रूपये मूल्य तक के समस्त व्यवहार प्रकरण। 4. वे समस्त मूल सांपत्तिक वाद, नियमित व विविध सांपत्तिक अपीलें, प्रवर्तन प्रकरण, जो समय–समय पर

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित किये जाये। 5. पांच सौ रू. से अधिक व एक हजार रू. तक के लघुवाद प्रकृति के सभी वाद। 6. दिवालिया अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत प्रस्तुत सभी प्रकरण। 7. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(5) तथा धारा 172 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 8. मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9. व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड रामपुर नैकिन** के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेशों के विरूद्ध नियमित व विविध सिविल अपीलें। 10. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 से संबंधित प्रकरण। 11. तहसील रामपुर नैकिन से उत्पन्न भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 51(1) एवं (2) के साथ पठित धारा 64 के अपनी क्षेत्राधिकारिता से संबंधित आवेदन एवं मामलें। 12. राजस्व तहसील रामपुर नैकिन के हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, हिन्दू सम्पत्ति व्ययन अधिनियम, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, मुस्लिम स्वीय (शरीयत) लागूकरण अधिनियम, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 13. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण। 14. तहसील रामपुर नैकिन के समस्त Grant of Probate and latters of administration Act, 1977 से संबंधित सभी मामले।

कार्य विभाजन पत्रक सिविल जिला सीधी वर्ष--2024

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सीधी	तहसील न्यायालय सिहावल	1. ऐसे समस्त प्रकरण जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. रूपये 500/– तक के लघुवाद प्रकरण। 4. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/– रू. से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 6. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये से कम मूल्य के अपकृत्य विधि के प्रकरण। 7. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, जनपद पंचायत, सीधी	तहसील– चुरहट एवं जनपद पंचायत सीधी के ग्रामीण क्षेत्र	1. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रूप से अधिक व एक करोड़/–रू. मूल्य तक के मामले। 4. रूपये 500/– तक के सभी लघुवाद। 5. रूपये पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ से कम मूल्य के अपकृत्य विधि से उत्पन्न प्रकरण। 6. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172(1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			9. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित सिविल प्रकृति की कार्यवाहियां। 10. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
9	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील–बहरी,	1. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रूप से अधिक व एक करोड़/–रू. मूल्य तक के मामले। 4. रूपये 500/– तक के सभी लघुवाद। 5. रूपये पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ से कम मूल्य के अपकृत्य विधि से उत्पन्न प्रकरण। 6. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172(1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी	तहसील गोपदबनास	1. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रूप से अधिक व एक करोड़/–रू. मूल्य तक के मामले। 4. रूपये 500/– तक के सभी लघुवाद। 5. रूपये पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ से कम मूल्य के अपकृत्य विधि से उत्पन्न

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			से कम मूल्य के अपकृत्य विधि से उत्पन्न प्रकरण। 6. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172(1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 8. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील सिहावल	1. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. पांच लाख रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न प्रकरण। 4. पांच लाख रूपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील–गोपदबनास	1. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. पांच लाख रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न मामले। 4. पांच लाख रूपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
13	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील बहरी	1. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. पांच लाख रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			उत्पन्न मामले। 4. पांच लाख रूपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चुरहट	तहसील ——	1. वे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
15	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट	तहसील कमर्जी	1. वे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. पांच लाख रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न मामले। 4. पांच लाख रूपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
16	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट	तहसील चुरहट	1. वे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रुपए मूल्य तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रूपये मूल्य तक के वाद। 4. पांच लाख रुपए मूल्य तक के अपकृत्य विधि के मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
			निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
17	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रामपुर नैकिन,	तहसील रामपुर–नैकिन	6. वे समस्त प्रकरण जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 7. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 8. रूपये 500/– तक के लघुवाद प्रकरण। 9. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/– रू. से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 10. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 11. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये से कम मूल्य के अपकृत्य विधि के तहत मामले। 12. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 13. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
18	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	तहसील–रामपुर–नैकिन	1. वे समस्त प्रकरण, जो समय– समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रूपये मूल्य तक के वाद। 4. पांच लाख रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि के मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
19	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,	तहसील मझौली एवं कुसमी	1. वे समस्त प्रकरण, जो समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
	मझौली एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मझौली		तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख/– रू. से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 4. पांच लाख रूपये से अधिक व एक करोड़ रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि के तहत मामले। 5. क्षेत्राधिकारिता हेतु आबंटित तहसील के रू. 500/– तक के सभी लघुवाद। 6. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण। 8. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित 25,000/– सिविल प्रकृति के वाद एवं कार्यवाहियां जो जनपद पंचायत क्षेत्र मझौली से उत्पन्न हों। 9. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
20	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मझौली	तहसील मझौली	1. वे समस्त प्रकरण, जो समय– समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. पांच लाख रूपये मूल्य तक के सिविल वाद। 3. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रूपये मूल्य तक के वाद। 4. पांच लाख रूपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि के मामले। 5. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत सिविल प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

//आवश्यक आदेश व निर्देश //

1. सीधी मुख्यालय के जिला न्यायाधीशों/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना अधिकरण के **रिक्त न्यायालयों/** अधिकरणों से उत्पन्न निष्पादन, विविध कार्यवाहियां तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित रिक्त न्यायालयों के प्रकरणों में कार्यवाहियां प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा व उनका भी न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित प्रभार अनुसार की जावेंगी।
2. तहसील चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली और सीधी के **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों** से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियां तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित रिक्त न्यायालयों के प्रकरणों में कार्यवाहियां संबंधित तहसील या जिले में कार्यरत वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय प्रथम सिविल जज वर्ग–1 से निम्नतर न्यायालय द्वारा की जावेगी व व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का पद/न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित प्रभार अनुसार की जावेंगी।
3. तहसील चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली और सीधी के **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** के रिक्त न्यायालयों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियां तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित रिक्त न्यायालयों के प्रकरणों में कार्यवाहियां उस तहसील/जिले में कार्यरत वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा की जावेंगी व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड का पद/न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित प्रभार अनुसार की जावेंगी।
4. श्रृंखला न्यायालय अवधि के उपरांत जिला न्यायाधीश, तहसील रामपुर नैकिन के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित त्वरित प्रकृति के प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण एवं श्रृंखला न्यायालय रिक्त होने की स्थिति में उस न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियां जिला मुख्यालय सीधी में कार्यरत द्वितीय जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय द्वारा की जावेंगी।
5. यदि कोई ऐसा मामला/आवेदन आदि पेश होता है, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में न हो तो वह संबंधित तहसील/जिले में उपस्थित वरिष्ठ जिला न्यायाधीश/वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, सुना व निराकृत किया जावेगा।

सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21 (4) के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल कार्य के लिए पूर्व के आदेशों अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो आदेश 16/01/2024 से प्रभावशील होगा:–

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क. 3 के न्याधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी
2.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी	प्रधान जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश
3.	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीधी.
4.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीधी.	चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सीधी.
5.	प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीधी.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी
6.	चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सीधी	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	द्वितीय जिला न्यायाधीश सीधी
7.	जिला न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन,	प्रथम जिला न्यायाधीश, सीधी	चतुर्थ जिला न्यायाधीश, सीधी
8.	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
9.	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सिविल जज सीधी	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
10.	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सिविल जज सीधी
11.	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सिविल जज सीधी	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी.	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
12.	द्वितीय सिविल जज	तृतीय सिविल जज	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क. 3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
	कनिष्ठ खण्ड, सीधी	कनिष्ठ खण्ड, सीधी	खण्ड, सीधी
13.	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ, सीधी
14.	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी,	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी
15.	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
16.	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
17.	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
18.	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
19.	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
20.	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड मझौली एवं ग्राम न्यायाधिकारी	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड मझौली	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी
21.	सिविल जज कनिष्ठ खण्ड मझौली	सिविल जज वरिष्ठ खण्ड मझौली	द्वितीय सविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी

नोट– (1) प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत न्यायाधीशों की अनुपलब्धता की दशा में उस स्टेशन पर उपलब्ध वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश अथवा व्यवहार न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आवश्यक कार्य निपटाया जायेगा। द्वितीय कॉलम के न्यायाधीशों के प्रभार के अनुभागों का आवश्यक कार्य भी न्यायालयों के उक्त प्रभार अनुरूप ही प्रभारी जज द्वारा किया जावेगा।

(2) बाह्य न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश अनुभागों के प्रभारी होगें जो कर्मचारियों का अवकाश/मुख्यालय से बाहर रहने बावत् स्वीकृति/अस्वीकृति व ड्यूटी लगाने का भी कार्य करेगें। उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य वरिष्ठता के कम में उक्त प्रभार अनुरूप प्रभारी न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।

Sd/-

(संजीव पाण्डेय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

पृ.क.– 126/एक–5–3/88 सीधी, दिनांक 12/01/2024

प्रतिलिपिः–यथा निर्देशित

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी,
2. प्रथम जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी,
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/जिला न्यायाधीश सीधी,
4. जिला न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय रामपुरनैकिन,
5. प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त, सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी,
6. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी,
7. प्रथम /द्वितीय/तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, चुरहट,
8. प्रथम/द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट,
9. सविल जज वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड मझौली,
10. सविल जज वरिष्ठ खण्ड/ कनिष्ठ खण्ड रामपुरनैकिन,
11. रीडर, प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी,

—— की ओर सिविल कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

12. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुरनैकिन की ओर सिविल कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
13. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना की वेवसाइट/समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

कृते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी